निरंतर नियुक्ति। अपीलकर्ता और प्रतिवादी राज्य 5 और 6 अलग-अलग जिलों में तैनात हैं। उनकी इस प्रकार की कोई पारस्परिक वरिष्ठता नहीं है। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता को अगस्त, 199 में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, मधुओआ में प्रतिनियुक्त किया गया था, उसने नियम 19.22 के तहत आवश्यक तीन साल की अपेक्षित सेवा पूरी नहीं की थी और इस प्रकार वह लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्त होने के लिए पात्र नहीं था, जब प्रतिवादी राज्य मंत्री बी और 6 को भेजा गया था। दावों को नियमों के अनुसार माना जाना चाहिए, 'यह किया गया था और अपीलकर्ता ने केवल इस तथ्य के कारण जांच की थी कि उसने पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, मधुबन में अपेक्षित अवधि या सेवा पूरी नहीं की थी।

(पाँच) श्री बलहारा का यह भी तर्क है कि नियम 19.22 का कोई प्रभाव नहीं है। यह तर्क इस आधार पर है कि नियम "स्कूल" शब्द का उपयोग करता है, जबकि हरियाणा में, केवल एक पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज है। माना जाता है कि पूरे हरियाणा राज्य में केवल एक संस्थान है जहां लोअर स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्थान, चाहे कॉलेज या स्कूल के रूप में नामित हो, एकमात्र ऐसा संस्थान है जिस पर नियम 19.22 के प्रावधान लागू होते हैं। इसलिए, हमें इस विवाद का कोई आधार नहीं मिलता है कि नियम का प्रावधान आकर्षित नहीं है। यहां तक कि अगर हम यह मान लें कि

नियम 19.22 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, तो अपीलकर्ता के हित को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उस स्थिति में, वह किसी भी प्रावधान के तहत विचार या प्रतिनियुक्त किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(छः)इस प्रकार हमें इस अपील में कोई दम नजर नहीं आता जिसे खारिज किया जाता है। हालांकि, मामले की परिस्थितियों में, हम पार्टियों को छोड़ देते हैं- अपनी लागत को वहन करने के लिए।

आर.एन.आर.

जय सिंह सेखों, जे के समक्ष।

अनिल के. मेहरा और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हंस राज - उत्तरदाता।

आपराधिक मिस. न 1990 का 13631-M.

29 अगस्त, 1991.

1 अप्रैल, *1989 से 1988 के अधिनियम* 66 *द्वारा प्रतिस्थापित* निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, *1881* - धारा 138 और 142 - *पर्याप्त धन की कमी के कारण* "व्यवस्था से अधिक है" *टिप्पणी के साथ अनादरित* चेक - 1 *अप्रैल,* 1989 *से प्रतिस्थापित* धारा *138 के लागू होने के बाद नोटिस देने के बाद शिकायत दर्ज की गई- बचाव पक्ष का कहना कि चेक*

1 अप्रैल, 1989 से पहले जारी किया गया था आपराधिक दायित्व को समाप्त नहीं करता है - अपराध होने का प्रारंभिक बिंदु अनादरण की तारीख है - इसलिए, धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के गठन के लिए चेक जारी करने की तारीख महत्वहीन है।

यह माना गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 142 के खंड (b) के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ऐसी शिकायत दर्ज करने की सीमा जो विधायिका द्वारा निर्धारित की गई है, उस तारीख से शुरू हो जाएगी, जिस तारीख से धारा 138 के परंतुक के खंड (c) के तहत कार्रवाई शुरू होती है, जिसका अर्थ है कि विधायिका ने अपने विवेक के साथ धारा 138 के खंड (c) में इस शर्त को ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए शामिल किया है। । इस प्रकार किसी भी कल्पना से चेक जारी करने के कार्य को अपराध होने का प्रारंभिक बिंदु नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, धारा 138 के मुख्य निकाय के परंतुक के साथ-साथ धारा 142 के प्रावधानों को पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के गठन के लिए चेक जारी करने की तारीख महत्वहीन है। (पैरा 10)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि शिकायत अनुलग्नक पी -1, अनुलग्नक पी -2 को तलब करने का आदेश और विद्वान सत्र न्यायाधीश अनुलग्नक पी -3 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और न्याय के हित में रद्द कर दिया जाए।*

यह भी प्रार्थना की जाती है कि न्याय के हित में इस न्यायालय के समक्ष याचिका के लंबित रहने के दौरान विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।

19 मई, *1989 को बैंकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट* की धारा 138 *के तहत शिकायत दर्ज की गई ।*

याचिकाकर्ताओं के वकील श्री राजेश कुमार और राजेश गर्ग के साथ हेमंत कुमार ।

प्रतिवादी की ओर *से अरुण जैन, एडवोकेट।*

निर्णय

जे. एस. सेखों, जे.

1) आपराधिक मिस. 1990 की संख्या 11514-एम, 13633-एम और 13635-एम को भी इस विविध याचिका (1990 की संख्या 13631-एम) के साथ निपटाया जाएगा, क्योंकि इनमें एक ही विवाद इंटरपक्षी शामिल हैं।

2) इन याचिकाओं में शामिल मुख्य विवाद यह है कि क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की धारा 138 के तहत अपराध 1988 के अधिनियम 66 के द्वारा, *जो 1 अप्रैल, 1989* से लागू

हुआ, को चेक प्राप्त करने के दिन अथवा चेक बाउंस होने की तारीख को किया गया माना जाएगा क्योंकि चेक धारक के खातों में पर्याप्त धनराशि की कमी के कारण क्योंकि यह उस खाता से भुगतान की जाने वाली राशि सीमा से अधिक है।

3) इस याचिका के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि अनिल कुमार मेहरा, राज कुमार मेहरा और कृष्ण कुमार मेहरा आरोपी फर्म मेसर्स मेहरा एंटरप्राइजेज के भागीदार हैं। इस फर्म ने शिकायतकर्ता हंस राज से ऋण लिया और अनिल कुमार मेहरा आरोपी-याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता हंस राज के पक्ष में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 22-सी, चंडीगढ के 1,033.33 रुपये के दस चेक जारी किए। उनके द्वारा दो अन्य चेक भी जारी किए गए थे, लेकिन ये इस मामले में प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि शिकायत दर्ज करने से पहले ही वैधता अवधि समाप्त हो गई थी। शिकायतकर्ता ने इन सभी दस चेकों को 11 अप्रैल, 1989 को उनके नकदीकरण के लिए बैंक को प्रस्तुत किया, लेकिन ये सभी चेक 17 अप्रैल, 1989 को वापस प्राप्त हुए, जिस पर लिखा था कि यह व्यवस्था से अधिक है । इसके बाद शिकायतकर्ता ने 20 अप्रैल, 1989 को नोटिस जारी किया और आरोपी की फर्म को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान करने के लिए कहा। आरोपी

फर्म को 22 अप्रैल, 1989 को नोटिस मिला, लेकिन राशि का भुगतान करने के बजाय, अधिनियम की धारा 138 के तहत अपनी आपराधिक देयता पर विवाद करते हुए अपने वकील के माध्यम से 29 अप्रैल, 1989 को जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप अदालत में शिकायत दायर की गई। ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 10 अगस्त, 1989 के आदेश के तहत अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया। याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश के खिलाफ संशोधन किया, जिसे चंडीगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि धारा 138 के प्रावधान *प्रथम दृष्टया* वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित होते हैं क्योंकि उपरोक्त संदर्भित प्रावधानों के लागू होने के बाद चेक बाउंस हो गए थे। इन परिस्थितियों में, आरोपी-याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त दो निचली अदालतों की शिकायत और आदेशों को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

4) शेष याचिकाओं में, विवाद समान है, सिवाय इसके कि शिकायतकर्ता के पक्ष में आरोपी-याचिकाकर्ताओं द्वारा जारी की गई राशि और चेक की संख्या अलग-अलग होती है।

5) याचिकाकर्ता के वकील हेमंत कुमार ने दलील दी कि

चूंकि सभी चेक अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के लागू होने से पहले 1 अप्रैल, 1989 से पहले जारी किए गए थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने इन चेकों को जारी करने की तारीख को अपराध किया था क्योंकि ये प्रावधान तब मौजूद नहीं थे। दूसरे शब्दों में, उनका तर्क यह है कि चेक जारी करने की तारीख अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का मुख्य घटक है और इन प्रावधानों के लागू होने के बाद इन चेकों के अनादर का कोई परिणाम नहीं होगा। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि चेक बाउंस होने के बारे में बैंक से सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर नोटिस देने की औपचारिकता केवल इस संबंध में चेक के ड्रॉवर को अवगत कराने और इस तरह के नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान की व्यवस्था करने के लिए है। इस संबंध में स्टील पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सत्य नारियान महार में जे पी चौधरी के निर्णय पर निर्भरता को रखा गया है ।

6) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अरुण जैन का कहना है कि अपराध का घटक ड्रॉअर के खाते में पर्याप्त धन की कमी के कारण चेक का अनादरना या चेक राशि बैंक के साथ व्यवस्था से परे है और सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस संबंध में आदाता द्वारा नोटिस के बावजूद भुगतान करने में ड्रॉअर की विफलता है। इस प्रकार वह कहता

है कि चेक तैयार करने का कार्य या तारीख महत्वहीन है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का आवश्यक घटक नहीं है। *इस संबंध में परमजीत सिंह बनाम जौब मामले में केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ का फैसला के साथ-साथ उस न्यायालय की खंडपीठ में पृथ्वीराज बनाम मैथ्यू कोशी के फैसला* पर निर्भरता *को रखा गया है*।

7) यह विवादित नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक निश्चित अपराध के लिए आरोपी बनाया जा सकता है यदि उसका कार्य या चूक प्रचलित कानून के अनुसार अपराध है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (n) में शामिल अपराध की परिभाषा इस प्रकार है: -

> "धारा 2 (n) "अपराध" का अर्थ है कोई भी कार्य या कमीशन जो उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है और इसमें कोई भी कार्य शामिल है जिसके संबंध में मवेशी अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के तहत शिकायत हो सकती है।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की उप-धारा 38 धारा 3 में अपराध की परिभाषा समान है । यह निम्नानुसार पढ़ता है:

> "धारा 3 (38) "अपराध" का अर्थ किसी भी समय लागू

किसी भी कानून द्वारा दंडनीय किसी भी कार्य को ओटी चूक से होगा।

इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी कृत्य द्वारा या लाव के प्रावधान के खिलाफ चूक करके अपराध कर सकता है, जो कि मैं उस समय लागू हूं। यह मामला यहीं समाप्त नहीं होता है क्योंकि अपराध के लिए किसी व्यक्ति का दायित्व अनुच्छेद 20 के खंड (1) के तहत संविधान के ढांचे द्वारा लागू तत्कालीन कानून तक ही सीमित कर दिया गया है, जो निम्नानुसार है: -

"20. *(*1) किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित किए गए कृत्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही उस अपराध से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो अपराध के समय लागू कानून के तहत लागू किया गया हो।

xx xx xx

8) इस प्रश्न में यह प्रश्न उठता है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपी व्यक्ति को दंडनीय बनाया गया है। अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान निम्नानुसार हैं -

" धारा 138 *खाते में निधियों की अपर्याप्तता आदि के*

लिए चेक का अनादर- जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए लिया गया कोई चेक, पूरे या आंशिक रूप से, किसी भी ऋण या अन्य देयता के लिए, बैंक द्वारा अवैतनिक लौटा दिया जाता है, या तो उस खाते के क्रेडिट पर खड़ी राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह राशि से अधिक है। उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई, ऐसे व्यक्ति को अपराध माना जाएगा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, उस अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो चेक की राशि से दोगुना तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि :-

(१) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस तारीख को इसे तैयार किया गया था या इसकी वैधता

की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो;

(२) आदाता या धारक चेक की नियत अवधि में, जैसा भी मामला हो, चेक की वापसी के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, चेक के ड्रॉअर को लिखित रूप में एक नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; और

(३) ऐसे चेक का आहरणकर्ता उक्त नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के नियत समय में आदाता को या जैसा भी मामला हो, उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

उपर्युक्त संदर्भित धारा की एक नज़र से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपराध के आवश्यक तत्व हैं-

(१) यह चेक किसी भी कानूनी रूप से लागू ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए बैंक पर तैयार किया गया है;

(२) चेक बैंक द्वारा अवैतनिक लौटा दिया जाता है;

(३) चेक को अवैतनिक लौटा दिया जाता है क्योंकि उस खाते में उपलब्ध राशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है; या कि चेक की राशि बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की

जाने वाली राशि से अधिक है;

(४) यह कि आदाता बैंक द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि का दावा करने वाले ड्रॉअर को एक नोटिस देता है; और

(५) नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ड्रॉअर भुगतान करने में विफल रहता है।

9) इस प्रकार, अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के उपर्युक्त विवरण से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि चेक जारी करने की तारीख अपराध का एक अनिवार्य घटक नहीं है क्योंकि धारा 138 के शब्द कानूनी रूप से लागू ऋण या अन्य देयता के निर्वहन में किसी व्यक्ति द्वारा निकाले गए चेक के अनादरण की तारीख पर जोर देते हैं और बैंक चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त धन की कमी के कारण इसका अनादर करता है। चेक या यह बैंक के पास ड्रॉअर की राशि से अधिक है। इस धारा में यह भी कहा गया है कि चेक की प्रस्तुति छह महीने की अवधि के भीतर प्रदान की जाए, जिस तारीख को इसे तैयार किया गया है या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो और चेक के आदाता या धारक को चेक के नियत समय में अनादरित करने के बाद, जैसा भी मामला हो, प्रदान करना होगा। इस संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के ड्रॉअर को लिखित में नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की

मांग करता है और आहरणकर्ता आदाता को धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है या जैसा भी मामला हो। ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आदाता को सूचित करें।

10) अपराध का संज्ञान लेने के दायरे को सीमित करने वाले अधिनियम की धारा 142 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

" धारा 142 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी -

(अ) कोई भी न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि भुगतानकर्ता द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत या जैसा भी मामला हो चेक के धारक नियत समय में;

(आ) ऐसी शिकायत धारा 133 के परंतुक के खंड (c) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के एक महीने के भीतर की जाती है:

(इ) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कमतर की कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

ऊपर प्रस्तुत धारा 142 के खंड (b) के अवलोकन से यह

स्पष्ट होता है कि विधायिका द्वारा निर्धारित ऐसी शिकायत दर्ज करने की सीमा उस तारीख से शुरू हो जाएगी जिस दिन से धारा 138 के परंतुक के खंड (c) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि विधायिका ने अपने विवेक से धारा के खंड (सी) में इस अधिनियम की धारा 138 ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनिवार्य शर्त को शामिल किया है। इस प्रकार कल्पना के किसी भी खंड से चेक जारी करने के कार्य को अपराध होने का प्रारंभिक बिंदु नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, धारा 138 के मुख्य निकाय के साथ-साथ उपरोक्त उल्लिखित धारा 142 के प्रावधानों को पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के गठन के लिए चेक जारी करने की तारीख महत्वहीन है।

11) परमजीत सिंह *बनाम जौब* के केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ की टिप्पणियां भी इस निष्कर्ष का समर्थन करता है। एकल पीठ के विचार का केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने *पृथ्वीराज* बनाम *मैथ्यू कोशी मामले में समर्थन किया था।*

12) सत्य नारायण महावर के मामले (सुप्रा) *में इस न्यायालय की एकल पीठ की टिप्पणियां* , जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, विवाद पर लागू नहीं होती है क्योंकि ऐसे मामले में अधिनियम की

धारा 138 के प्रावधानों के आवेदन से संबंधित विवाद है, जहां चेक को बैंक द्वारा भुगतान रोकने के आधार पर भुगतान नहीं किया जाता है। इस प्रकार ए. पी. चौधरी, जे. द्वारा यह माना गया कि अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह धारा केवल ड्रॉअर के खाते में पर्याप्त धन की कमी के कारण चेक के अनादर से संबंधित है या चेक की राशि ड्रॉअर द्वारा बैंक के साथ की गई व्यवस्था से अधिक है।

13) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इसलिए, ये याचिकाएं विफल हो जाती हैं और इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

बिलासपुर यमुनानगर

आरजेआर।

जी. आर. मजीठिया से पहले जे.

भरपुर सिंह, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1987 *का* 1419

15 मार्च, 1991।

पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 4 (i*) (ii) और (Hi) - वरिष्ठता - सैन्य सेवा का लाभ - याचिकाकर्ता, एक भूतपूर्व सैनिक, जिसे एस.एस.एस.बी., पंजाब की सिफारिश पर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया है।*

(चार) 1989 के सी.आर.एम. 978 पर 18 अक्टूबर, 1989 को निर्णय लिया गया।

(पाँच) 1991 आईएसजे (बैंकिंग) 312.